


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, पटमदा।

## आदेश-पत्रक

सीमांकन अभिलेख संख्या- 02/2017-18

तिथि	आदेश तथा पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई																									
1	2	3																									
<p>07-04-2017</p>	<p>आवेदक श्री राधानाथ माझी पिता स्व0 चौधरी माझी निवासी कांकु, ने निम्नलिखित परिसंख्या में जमीन का सीमांकन हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ।</p> <p style="text-align: center;"><u>परिसंख्या</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं0-</th> <th>खाता नं0</th> <th>प्लॉट नं0</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कांकु</td> <td>109</td> <td>28</td> <td>364</td> <td>20 डी0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>363</td> <td>7.5 डी0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>365</td> <td>7.5 डी0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35 डी0</td> </tr> </tbody> </table> <p>जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा कांकु, थाना नं0- 109, खाता नं0- 28 प्लॉट नं0- 364 रकवा- 0.20 एकड़ एवं खाता नं0 29 प्लॉट नं0- 363 एवं 365 रकवा क्रमशः 7.5 एवं 7.5 डी0 भूमि देवेन्द्र नाथ माझी, राधु माझी पिता स्व0 चौधरी माझी के नाम से नामान्तरण मुकदमा संख्या 1245/1985-86 के अनुसार पंजी ॥ में दर्ज है। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक ने आवेदित भूमि का अंचल अमीन से सीमांकन हेतु अनुशंसा की गई है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने सरकारी अमीन से सीमांकन हेतु अनुशंसा किया है। अंचल नाजीर को आदेश दिया जाता है कि आवेदक से आवेदित भूमि का सीमांकन शुल्क 1000/- (एक हजार) रु0 जमा लेकर नाजीर रसीद निर्गत करें।</p> <p style="text-align: right;">                 लेखापित                    अंचल अधिकारी                  पटमदा             </p>	मौजा	थाना नं0-	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	कांकु	109	28	364	20 डी0			29	363	7.5 डी0				365	7.5 डी0					35 डी0	<p style="color: red; font-size: small;">                     Received Rs 1000/- (one thousand) only                      Vchle NR No - 371932 dated 7-4-2017                      18/4/17                 </p>
मौजा	थाना नं0-	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा																							
कांकु	109	28	364	20 डी0																							
		29	363	7.5 डी0																							
			365	7.5 डी0																							
				35 डी0																							

02/05/2017

अभिलेख उपस्थापित । आवेदक ने आवेदित भूमि का सीमांकन शुद्ध नजारा में जमा किया गया । सीमांकन हेतु दिनांक 06-05-2017 को विधि निर्धारित किया जाता है । दोनों पक्ष को नोटिस निर्गत करें ।

लेखापित  
अथल अधिकारी  
परमदा ।

26.09.2017

अभिलेख उपस्थापित किया । अमीन का सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । सीमांकन प्रतिवेदन का अवलोकन किया । सीमांकन प्रतिवेदन के साथ आवेदित भूमि का ट्रेसिंग नक्शा प्रस्तुत किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है । किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है ।

अतः वाद की कारणाई बन्द की जाती है ।

लेखापित

अथल अधिकारी  
परमदा ।